प्रकाशन संख्या 522

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 512

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1996--97 4.3, 4.6, 1997--98 4.4, 4.6, 1999--2000 4.4 एवं 2004--05 3.4 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित ।

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति (मुख्य) का गठन वर्ष 2012–13 (पंचदश विधान–सभा) ..	क
2. लोक लेखा समिति (मुख्य) का गठन वर्ष 2010–11 (चतुर्दश विधान–सभा) ..	ख
3. लोक लेखा समिति (मुख्य) का गठन वर्ष 2006–07 (चतुर्दश विधान–सभा) ..	ग
4. लोक लेखा समिति की उप–समिति (4) गठन वर्ष 2012–13 .. (पंचदश विधान–सभा)	घ
5. सभा सचिवालय के पदाधिकारी / कर्मचारीगण, प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारी एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण।	च
6. प्राक्कथन	ज
7. प्रतिवेदन	1–8

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2012–13 (पंचदश बिहार विधान–सभा)

सभापति

1.	श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

सदस्यगण

2.	डॉ० अच्युतानंद	स०वि०स०
3.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	स०वि०स०
4.	श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
5.	श्री मंजीत कुमार सिंह	स०वि०स०
6.	श्री अभिराम शर्मा	स०वि०स०
7.	श्री अरूण शंकर प्रसाद	स०वि०स०
8.	श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०
9.	श्रीमती उषा सिन्हा	स०वि०स०
10.	श्री कृष्णनन्दन यादव	स०वि०स०
11.	श्री जावेद इकबाल अंसारी	स०वि०स०
12.	श्री राणा गंगेश्वर सिंह	स०वि०स०
13.	श्री नीरज कुमार	स०वि०प०
14.	श्री (मो0) हारूण रशीद	स०वि०प०
15.	श्री मंगल पाण्डेय	स०वि०प०

ख

लोक लेखा समिति (मुख्य) की गठन (वित्तीय) वर्ष 2010–11
(चतुर्दश विधान–सभा)

	सभापति	
1.	श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी	स०वि०स०
	सदस्यगण	
2.	श्री चन्द्रमोहन राय	स०वि०स०
3.	श्री पन्ना लाल सिंह "पटेल"	स०वि०स०
4.	श्री रामेश्वर प्रसाद	स०वि०स०
5.	श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव	स०वि०स०
6.	श्री शोभा कान्त मंडल	स०वि०स०
7.	श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा	स०वि०स०
8.	श्री रामदेव राय	स०वि०स०
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	स०वि०स०
10.	श्री रामदेव वर्मा	स०वि०स०
11.	श्री मनीष कुमार	स०वि०स०
12.	श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०
13.	श्री केदार नाथ पाण्डेय	स०वि०प०
14.	श्री संजय कुमार झा	स०वि०प०
15.	श्री प्रेम कुमार मणि	स०वि०प०
16.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद	स०वि०प०

लोक लेखा समिति का गठन (वित्तीय) वर्ष 2006–07 (मुख्य)

(चतुर्दश विधान–सभा)

सभापति

1.	श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी	स०वि०स०
	सदस्यगण	
2.	श्री हरि नारायण सिंह,	स०वि०स०
3.	श्री दामोदर रावत	स०वि०स०
4.	श्री पन्ना लाल सिंह "पटेल"	स०वि०स०
5.	श्री रामेश्वर प्रसाद	स०वि०स०
6.	श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव	स०वि०स०
7.	श्री कौशल यादव	स०वि०स०
8.	श्री शोभा कान्त मंडल	स०वि०स०
9.	श्री देवदत्त प्रसाद	स०वि०स०
10.	श्री रामदेव राय	स०वि०स०
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	स०वि०स०
12.	श्रीमती रेणु कुमारी (क्षेत्र सं० 122)	स०वि०स०
13.	श्रीमती पूर्णिमा यादव	स०वि०स०
14.	श्री केदार नाथ पाण्डेय	स०वि०प०
15.	श्री तनवीर हसन	स०वि०प०
16.	श्री रामवचन राम	स०वि०प०
17.	श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह	स०वि०प०

घ

बिहार विधान–सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप–समिति (4) का गठन वर्ष 2012–13

सभापति

1. श्री ललित कुमार यादव — स०वि०स०

संयोजक

2. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव — स०वि०स०

सदस्यगण

3. श्री अशोक कुमार — स०वि०स०
4. श्री अरूण शंकर प्रसाद — स०वि०स०
5. श्री मंगल पाण्डेय — स०वि०प०

बिहार विधान–सभा सचिवालय

श्री फुल झा	प्रभारी सचिव
श्री चन्द्रभूषण पाठक	उप–सचिव
श्री रूपनारायण मिश्र	अवर–सचिव
श्री भूदेव राय	अवर–सचिव
श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री गणेश कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री उमाशंकर यादव	वरीय लिपिक
श्री राजीव रंजन III	कनीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	कनीय लिपिक
श्री अरविंद कुमार दास	कनीय लिपिक
श्री रंजय कुमार	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री परवेज आलम	उप–महालेखाकार
श्री अतुल प्रकाश	उप–महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
श्री अरविंद कुमार	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव
श्री अशोक प्रियदर्शी	उप–सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 (रा0प्रा0)–4.3, 4.6, 1997–98 (रा0प्रा0) 4.4, 4.6, 1999–2000 (रा0प्रा0)–4.4 एवं 2004–05 (रा0प्रा0)– 3.4 की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं0 512 वाँ प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी, 2013 को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

चतुर्दश एवं पंचदश विधान–सभा की लोक लेखा समिति की विभाग के साथ कुल आठ (8) बैठकें हुई ।

चतुर्दश विधान–सभा की लोक लेखा समिति के निर्णयों का भी अनुमोदन वर्तमान की लोक लेखा समिति (पंचदश विधान–सभा) द्वारा किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि से समिति को जो सहयोग मिला है, जिसके लिये मैं तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

बिहार विधान–सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना ।

पटना :
दिनांक 22 फरवरी, 2013 (ई०) ।

प्रतिवेदन

सी0ए0जी0 के अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1996–97 पृ0सं0 42 द्रष्टव्य ।

4.3. शुल्क की रियायती दर पर भारत-निर्मित विदेशी शराब का अधिक एवं अनधिकृत निर्गमन

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के अनुसार राज्य सरकार को किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित शुल्क के भुगतान से पूर्णतः या आंशिक रुप से छूट देने का अधिकार है। तदनुसार, सरकार ने समय-समय पर अधिसूचना जारी कर सैन्य-टुकड़ियों तथा सैन्य-संस्थाओं के लिए 50 रुपये प्रति एल.पी.लीटर की सामान्य दर के बदले रम पर 8 रुपये प्रति एल.पी. लीटर तथा अन्य भारत निर्मित विदेशी शराब पर 30 रुपये प्रति एल.पी.लीटर की रियायती दर का शुल्क निर्धारित किया। अक्तूबर 1983 से सरकार ने इस रियायत का विस्तार बिहार सैन्य पुलिस (अधिकारियों को छोड़कर) के लिए भी किया। आरक्षी महानिरीक्षक (सशस्त्र बल), बिहार के अप्रैल 1988 के आदेशानुसार, बिहार सैन्य पुलिस कार्मिकों को (अधिकारियों को छोड़कर) प्रति जवान प्रति माह 0.72 एल.पी.लीटर रम निर्गत करना था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1996 एवं जनवरी 1997 के बीच) कि वर्ष 1995-96 में पटना एवं रोहतास सह भभुआ जिले में बिहार सैन्य पुलिस की 4 इकाइयों को 40,504.32 एल.पी. लीटर की अनुज्ञेय मात्रा के विरुद्ध 62,131.25 एल.पी. लीटर रम निर्गत किया गया। पुनः, वर्ष 1995-96 में पटना जिला में बिहार सैन्य पुलिस की 4 इकाइयों को रियायती दर पर 3,845.25 एल.पी. लीटर अन्य भा. नि. वि. श. का अनियमित निर्गमन किया गया जबकि बिहार सैन्य पुलिस की इकाइयाँ केवल रम के निर्गमन हेतु अधिकृत थीं। इस प्रकार 21,626.93 एल.पी. लीटर अधिक रम तथा 3,845.25 एल.पी. लीटर अन्य भा.नि.वि.श. के रियायती दर पर निर्गमन के फलस्वरूप 9.85 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क की हानि हुई।

मामले विभाग/सरकार को नवंबर 1996 तथा अप्रैल 1997 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 1998)।

विभागीय स्पष्टीकरण

1. रोहतास–सह–कैमूरः – बी0 एम0 पी0–2 डिहरी रोहतास को वर्ष 95–96 में रियायती दर पर निर्धारित सीमा से अधिक दी गयी विदेशी शराब की आपूर्ति के फलस्वरूप अंतर शुल्क की देय राशि 106789.00 रू0 के विरूद्ध कुल 104257.75 पैसे की वसूली कर ली गयी है। शेष राशि 2531.25 जमा कराने हेतु सहायक आयुक्त उत्पाद, रोहतास के पत्रांक–177 दि0–03.03.05 एवं स्मार संख्या –723 दिनांक–20.08.07 द्वारा समादेष्टा बी0 एम0 पी0–2 से अनुरोध किया गया है।

2. पटनाः– बिहार सैन्य पुलिस (बी0 एम0 पी0 10, 14 एवं 5) को प्रति जवान 0.75 एल0 पी0 एल0 प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल 3520 जवानों को कुल 30412.80 एल0 पी0 एल0 विदेशी शराब, विहस्की एवं रम रियायत दर पर उपलब्ध कराया जाना था। इसके विरूद्ध समादेष्टा 5, 10 एवं 14 द्वारा कुल 49812.50 एल0 पी0 एल0 शराब की मांग की गई थी। समादेष्टा के मांग पत्र के आधार पर इन सैन्य संस्थानों को निर्धारित मात्रा से अधिक कुल 19399.70 एल0 पी0 एल0 शराब निर्गमन हुआ। इस प्रकार सैन्य संस्थानों से निर्धारित कोटा से अधिक की गयी शराब के निर्गमन पर कुल 814787.49 पैसे देय कर की अंतर राशि जमा किया जाना है। इस हेतु विभागीय पत्रांक–7657 दि0–12.02.97 एवं अन्य स्मार पत्रों द्वारा अंतर राशि को जमा करने हेतु अनुरोध किया गया तथा अंतर राशि जमा नहीं करने के कारण उनके अनुज्ञप्ति का नवीकरण रोक दिया गया है। विभागीय पत्रांक–4077 दि0–12.09.2007 द्वारा अंतर शुल्क राशि कोषागार में जमा हेतु समादेष्टा बी0 एम0 पी0 5, 10 एवं 14 को पुनः स्मारित करने हेतु सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना को निदेशित किया गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 08 जून, 2010 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि "तीन माह में विभाग हर हाल में बकाये राशि की वसूली कर समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत करा दिया जाय ।" इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया ।

सी0ए0जी0 अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1996–97 पृ0सं0 43 द्रष्टव्य ।

4.6. अग्रिम फीस की अदायगी में चूक के कारण राजस्व का अनुद्ग्रहण

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बने नियमों में प्रावधान है कि वार्षिक बंदोबस्ती हेतु नीलामी में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जिस व्यक्ति का डाक स्वीकार कर लिया गया हो, उसे तत्काल आवश्यक अग्रिम फीस की राशि का भुगतान कर देना है। प्रत्येक वर्ष उत्पाद दुकानों की बिक्री हेतु विहित प्रपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार जैसे ही किसी दुकान की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है; संबद्ध क्रेता द्वारा बिक्री के समय देय राशि तत्काल जमा न करने पर उस दुकान की पुनः बिक्री कम राशि पर होने या अबन्दोबस्त रहने पर सरकारी राजस्व की क्षति के लिए वह उत्तरदायी होगा।

मूल उम्मीदवारों द्वारा अग्रिम फीस जमा नहीं करने के फलस्वरूप समाहर्त्ता, मधुबनी ने वर्ष 1995-96 में 2 उत्पाद दुकानों (एक देशी शराब दुकान एवं एक विदेशी शराब दुकान) की बन्दोबस्ती रद्द कर दी। देशी शराब की दुकान मूल बन्दोबस्ती की तिथि से शेष अवधि तक बन्दोबस्त नहीं होने तथा एक अन्य दुकान (विदेशी शराब) की कम राशि पर पुनर्बन्दोबस्ती होने के कारण 1.28 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

जुलाई 1996 में इसे बताये जाने पर विभाग ने कहा (जुलाई 1996) कि चूक करने वाले डाककर्त्ताओं को सूचना निर्गत की जायेगी। अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1998)।

मामला सरकार को नवंबर 1996 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1998)।

विभागीय स्पष्टीकरण

मधुबनी:–यह कंडिका वर्ष 95–96 में उत्पाद दुकान यथा खजौली देशी शराब की बंदोबस्ती केता द्वारा छोड़ देने के फलस्वरूप 59066.00 रू0 एवं विदेशी शराब मधवापुर के पुर्नबंदोबस्ती के फलस्वरूप 66655.00 रू 0 कुल 127721.00 रू0 की क्षति के संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति दर्शायी गयी है।

उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु श्री सुदर्शन सिंह के विरूद्ध 16103.04 नीलाम पत्रवाद मो0 59066.00 रू0 की दायर किया गया है तथा मंजूर साह के विरूद्ध 19/03–04 निलाम पत्रवाद मो0 686555.00 रू0 की दायर किया गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 मई, 2010 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि "सार्टिफिकेट केस के संबंध में तीन माह में समिति और प्रधान महालेखाकार कार्यालय को विभाग अवगत कराये।" इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1997–98 पृ0सं0 36–37 द्रष्टव्य ।

4.4. भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर पर शुल्क की अन्तर राशि की वसूली न करना

सरकार ने भारत निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) एवं बीयर पर शुल्क की दरों में संशोधन किया (जून 1996)। भा.नि.वि.श. पर शुल्क की संशोधित दर 50 रुपये प्रति एल.पी.लीटर के विरुद्ध 55 रुपये से 150 रुपये प्रति एल.पी.लीटर के मध्य यथामूल्य (एड भेलोरम) थी। तदन्तर बीयर पर शुल्क की दर भी 5 रुपये से 8 रुपये प्रति बल्क लीटर संशोधित की गयी।

जून 1996 एवं अक्तूबर 1996 के मध्य पटना जिला के अनुज्ञापत्रधारियों को 165289.41 एल.पी.लीटर भा.नि.वि.श. एवं 280085 बल्क लीटर बीयर का निर्गमन पूर्व संशोधित दर से किया गया, फलस्वरूप 25.55 लाख रुपये के शुल्क की कम उगाही हुई।

इसे बताये जाने पर (मई 1997), विभाग ने कहा (जून 1997) कि अन्तर राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1997), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

विभागीय स्पष्टीकरण

पटनाः– भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर पर शुल्क दरों में वृद्धि के पश्चात 25.55 लाख की वसूली न होने की दर्ज आपत्ति के विरूद्ध विभिन्न चालानों द्वारा कुल 2551234.59 रू0 की वसूली की जा चुकी है।

युनाइटेड ब्रिवरीज लि0 के विरूद्ध 140050.00 रू0 की वसूली न्यायालय के आदेशानुसार स्थगित है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 28 जून, 2010 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि "विभाग न्यायालय के स्थगन आदेश की कॉपी समिति को उपलब्ध करा दें।" इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1997–98 पृ0सं0 37–38 द्रष्टव्य ।

4.6. खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की अनापूर्ति के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 किसी विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अन्तर्गत मद्यभंडागारों से खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की थोक आपूर्ति का अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करता है। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना (जून 1995) जारी कर जुलाई 1995 से मार्च 1999 की अवधि में खुदरा विक्रेताओं को सैचेट/बोतलों में देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी।

सरकार द्वारा 23 जून 1995 को भागलपुर प्रक्षेत्र, जिसमें अररिया एवं किशनगंज जिले सम्मिलित थे, में सैचेट/बोतलों में देशी शराब की थोक आपूर्ति के अनन्य विशेषाधिकार की स्वीकृति दी गयी। निविदा की शर्त के अनुसार स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति द्वारा स्वीकृति आदेश के 15 दिनों (8 जुलाई 1995) के अन्दर अनुज्ञप्ति के लिए समाहर्त्ता को आवेदन देना था तथा ऐसे अनुदान की स्वीकृति की तिथि से 2 माह (23 अगस्त 1995) के अन्दर सैचेट/बोतलों में देशी शराब की आपूर्ति शुरु करने की आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर लेनी थी। आपूर्ति की पुरानी व्यवस्था 11 जुलाई 1995 से समाप्त हो गयी, परन्तु बीच की अवधि में खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की आपूर्ति हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने में उत्पाद विभाग विफल रहा जिसके कारण जुलाई 1995 में खुदरा विक्रेताओं को 15890 एल.पी.लीटर देशी शराब की (9000 एल.पी.लीटर अररिया में तथा 6890 एल.पी.लीटर किशनगंज में) आपूर्ति नहीं हो पायी; फलस्वरूप 4.13 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क की हानि हुई।

इसे विभाग को बताया गया (मार्च 1997); उनका अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 1997); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 1998)।

विभागीय स्पष्टीकरण

दिनांक 10 मई, 2012 की बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि "जो हमारी सेन्ट्रलाईज्ड व्यवस्था थी उस पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण हमलोगों को अपनी व्यवस्था से शराब का सप्लाई करना पड़ा फिर लगभग एक माह बाद रोक हट गया। इस प्रकार परिस्थितिवश एक महीना तक संकटकाल में यह दिक्कत हुई फिर बंदोबस्ती हो गया।

समिति की अनुशंसा

उपरोक्त विभागीय उत्तर के आलोक में प्रधान महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से समिति द्वारा दिनांक 10 मई, 2012 की बैठक में इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 1999–2000 पृ0सं0 29 द्रष्टव्य ।

4.04 भारत निर्मित विदेशी शराब पर शुल्क कम वसूला जाना

जुलाई 1996 में निर्गत अधिसूचना के द्वारा सरकार ने 11 जून 1996 के प्रभाव से भा नि वि श के शुल्क की दर में वृद्धि कर दी। तदनुसार, भा नि वि श के रेगुलर, सेमी-प्रीमियम और स्कॉच एवं प्रीमियम ब्राण्डों के उत्पाद शुल्क की दर को 50 रुपये प्रति एल पी एल की दर से संशोधित कर क्रमशः 55 रुपये, 75 रुपये तथा 100 रुपये प्रति एल पी एल कर दिया गया।

पटना जिला के एक आसवन गृह में देखा गया कि 11 और 22 जून 1996 के मध्य की अवधि में 105257.04 एल पी एल भा नि वि श पर पूर्व-संशोधित दर से ही उत्पाद शुल्क की वसूली की गयी। इसके फलस्वरूप 11.77 लाख रुपये के शुल्क की कम वसूली हुई।

इसे बताये जाने पर (जून 1997) विभाग ने कहा (जून 1997) कि सरकारी आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण संशोधित दर से शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2000); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2001)।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कंडिका में आपत्ति यह है कि वर्ष–1996 के जून माह में सरकार द्वारा विदेशी शराब के लिए कर की दर पर दिनांक 11.06.96 से दिनांक 22.06.96 तक कुल निकासी की गई विदेशी शराब की मात्रा 1,05,287,04 एल0पी0एल0 पर बढ़ी हुई दर से कुल अन्दर की राशि रू0–11,77 लाख रूपये की वसूली नहीं की गई।

अधीक्षक उत्पाद, मैकडोवेल आसवनगृह से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बढ़ी हुई दर पर कर की अंतर की राशि की वसूली हेतु दी गई नोटिस के विरुद्ध सर्वश्री मैकडोवेल एण्ड कंपनी के प्रबंधन द्वारा दायर की गई याचिका के प्रसंग में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में दिनांक 11.06.96 से 19.06.96 तक के लिए कर की अंतर की राशि को वसूलनीय नहीं माना गया है और इसे दिनांक 20.6.96 से वसूली योग्य माना गया है। तदनुसार वसूली योग्य राशि रू0–3,43,784.00 रूपये ही मात्र होती है।

इसके अतिरिक्त वर्ष–2000–2001 में उत्पाद कर की बढ़ी हुई दर पर अंतर की राशि रू0 4,69,525.95 थी, तथा अनुमान्य सीमा से अधिक मात्रा सुरा की मार्गस्थ क्षति पर दाण्डिक शुल्क के रूप में रू0 9351.00 भी उक्त कंपनी से वसूलनीय थी। इन तीनों राशियों का योग रुपये–8,22,660.95 मात्र होता है।

माननीय सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के न्यायालय से केस सं0–24/97 में दिनांक 12.08.98 में पारित आदेशानुसार उक्त कंपनी को उनके द्वारा पूर्व में जमा रू0–4,95,310.56 तथा केस सं0–447/97 में दिनांक 25.12.98 को पारित आदेशानुसार पूर्व में कंपनी द्वारा जमा रू0–10,000.00(दस हजार) रूपये अर्थात कुल रू0 5,05,310.56 सरकार की ओर से वापस किया जाय अथवा उनसे वसूलनीय राशि में से सामंजित करना था।

उपर्युक्तानुसार सामंजन के पश्चात् रूपया–8,22,660.95–5,05,310.56 शेष बची हुई 3,17,350.39 रूपये मात्र, चलान सं0–1084 दिनांक 29.03.2001 के द्वारा सरकारी कोषागार में जमा कर दिया कर गया है, जिसे समाहर्त्ता, पटना द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है।

अतः उपर्युक्त स्थिति में अंतग्रसत राशि की वसूली हो चुकी है।
सकता है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 23 नवम्बर, 2006 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर एवं उपमहालेखाकार की सहमति से इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

सी0ए0जी0 अंकेक्षण प्रतिवेदन (रा0प्रा0) वर्ष 2004–05 पृ0सं0 20–21 द्रष्टव्य ।

3.4 अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ

बिक्री अधिसूचना की शर्त्त संख्या–18 के अन्तर्गत प्रत्येक डाककर्त्ता को दे. श., म. दे. श. तथा भा. नि. वि. श. की एक निर्धारित न्यू. प्र. मा. का उठाव करना आवश्यक है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्तिधारियों को बि. उ. अ. की धारा 68 और 42 के अधीन दण्डित किया जा सकता है तथा उनकी अनुज्ञप्तियों को निरस्त किया जा सकता है।

उत्पाद कार्यालय, गया में अगस्त 2004 में देखा गया कि बन्धुआ और बैराग देशी शराब की दूकानों के अनुज्ञप्तिधारकों ने सितम्बर 2003 से मार्च 2004 तक की अपने

बन्दोबस्ती की सम्पूर्ण अवधि के लिए न्यू. प्र. मा. का उठाव नहीं किया जिसके फलस्वरूप संबंधित दूकानों के लिये निर्धारित देशी शराब की 23,369 एल. पी. एल. (लन्दन प्रूफ लिटर) की न्य. प्र. मा. के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार 8.18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। विभागीय प्राधिकारियों ने न तो अनुज्ञप्ति को निरस्त किया न ही बिहार उत्पाद अधिनियम के अधीन कोई दण्ड आरोपित किया।

मामले, विभाग एवं सरकार को फरवरी 2005 में प्रतिवेदित किये गये, जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

विभागीय स्पष्टीकरण

गया जिला:–सहायक आयुक्त उत्पाद, गया द्वारा सूचित किया गया है कि, विभागीय पत्रांक–2586 दिनांक -21.08.03 के द्वारा वैरागी देशी शराब दुकान का रक्षित शुल्क कम किए जाने के कारण दिनांक–29.07.03 को बन्दोवस्ती की गई। उसी तिथि को बंधुआ देशी शराब दुकान की भी बन्दोवस्ती हुई थी। वैरागी देशी शराब दुकान के निर्धारित कोटा 21112.00 एल0 पी0 एल0 के विरूद्व 5360.00 एल0 पी0 एल0 एवं बंधुआ देशी शराब दुकान की निर्धारित कोटा 2261.00 एल0 पी0 एल0 के विरूद्व मात्र 120 एल0 पी0 एल0 का निर्गमण लिया गया। चूंकि यह जिला उग्रवाद प्रभावित जिला है, विगत कई वर्षो से कोटा के अनुरूप निकास नही लिया गया है।उक्त दुकानों की बन्दोवस्ती ही काफी के प्रयास के बावजूद ही हुआ था।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 10 मई, 2012 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि "प्रधान सचिव तत्कालीन दोषी पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे।" वित्त विभाग एवं प्रधान महालेखाकार की सहमति से इस कंडिका आपति को निष्पादित किया गया।

22/2/13

सभापति
(लोक लेखा समिति)
बिहार विधान–सभा पटना

स्थान पटना
दिनांक 22 फरवरी, 2013

संख्या/No. मी०/लो०ले०स० - 92(2005-II)/2012-13/11

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001

Indian Audit & Accounts Department

Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar

Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date: 13/03/2013

सेवा में,

उप सचिव
बिहार विधान सभा,
पटना।

विषय :– लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन सं0 509, 511, 512 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण।

प्रसंग :- आपका पत्र सं.– (1) 2लो.ले.स.-33/13-226/वि.स., एवं
(2) 2लो.ले.स.- 34/13-227/वि.स.,
दिनांक 01.03.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल एवं राजस्व प्राप्तियाँ) की भवन निर्माण विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षो की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन सं. 509, 511 एवं 512 में आवश्यक सुधार तथा संपरीक्षण के पश्चात् मूल रूप में वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नकः– प्रासंगिक पत्रों के अनुलग्नकों की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

13/03/13

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
बिहार, पटना

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।
2013